[श्री सभापति पीठासीन हुए]

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT BY MINISTER KILLING OF SHRIMATI PHOOLAN DEVI, M. P.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): आदरणीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने संसद सदस्या श्रीमती फूलन देवी की नृशंस हत्या के संबंध में जो वक्तब्य दिया है, उस वक्तव्य से कई प्रश्न उभरते हैं और जिन बातों की शुरुआत होती है, उनमें प्रमुख बात यह है कि प्रश्न केवल श्रीमती फूलन देवी की हत्या तक सीमित नहीं है, इससे संसद सदस्यों की सुरक्षा जुड़ी हुई है। उस क्षेत्र में जो कि सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र में किसी संसद सदस्य की नृशंस हत्या हो जाए जब कि वे एक सांसद के रुप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही थी और बीच में लंच के लिए अपने घर गई थी, इससे निश्चित रुप से संसद सदस्यों की सुरक्षा पर प्रश्नवाचक चिहन लग गया है। इस संबंध में मंत्री जी का क्या मंतव्य है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। क्या वे संसद सदस्यों की सुरक्षा के बारे में इस घटना के परिप्रेक्ष्य में, नए सिरे से विचार करना चाहेंगे? यदि वे इस प्रश्न पर विचार करना चाहेंगे तो थ्रैट परसैप्शन को आधार मानते हुए या किन बातों को आधार मानते हुए संसद सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी? क्या उनको राज्य सरकारों की मेहरबानी पर आश्रित रहना होगा या थ्रैट परसैप्शन प्रमुख मुद्दा होगा, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने पैरा 3 में यह बताया है कि नकाबपोश अपनी कार में आए और यह दुष्कृत्य करने के बाद घटानास्थल से चले गए। यह घटना उस स्थान पर हुई जो सिक्योरिटी जोन में आता है और उसके पास ही उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री का बंगला है। पास मं न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बंगला है बल्कि वहां उनकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज भी हैं। इसके बावजूद नकाबपोश वहां पर आए और यह कांड करके चले गे और पास में जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनमें कोई गतिविधि नहीं हुई । मैं यह नहीं कहता कि दूसरे के बंगले में जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनमें कोई गतिविधिनहीं हुई। मैं यह नहीं कहता कि दूसरे के बंगाले में जो सुरक्षाकर्मी रहते हैं, उनको देखना चाहिए लेकिन निश्चित रुप से कुछ न कुछ जिम्मेदारी उनकी भी बन जाती है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी क्या सोचते हैं?

सभापति महोदय, तीसरी बात यह है कि समाचारपत्रों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि अपराधस्थल के नजदीक ही 2 निर्मित हथियार फेंक दिए गए थे, वे वहां पर जब्त हुए हैं। वे गैराज से जब्त हुए हैं। जब श्रीमती फूलन देवी की हत्या के बाद वी.आई.पी. और वी.वी.आई.पी. लोग और प्रधानमंत्री जी वहां गए तो जो लोग सुरक्षा का इंतजाम देखते हैं, क्या उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं की थी कि वे गैराज की तलाशी लेते जहां वे हथियार रखे गए थे? लगता है कि किसी न किसी रुप में लापरवाही बरती गई है। यदि लापरवाही बरती गई है तो माननीय मंत्री जी इसके लिए किसको दोषी मानते हैं।

सभापति महोदय, श्रीमती फूलन देवी की हत्या ने निश्चित रुपसे एक नए विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस समय आप इस सर्वोच्च आसंदी पर विराजमान हैं, इसलिए मैं ये शब्द नहीं कह रहा हूं। आज क्रिमिनिलाइजेशन ऑफ पालिटिक्स के बार में चर्चा चलने लगी है, उस चर्चा की अगर शुरूआत हुई है तो वह आपके द्वारा सिम्पोजियम आयोजित करके हुई है। संसद सदस्य के रुप में आपके कार्याकाल में समय समय पर जो गोष्ठियां आयोजित

की गई, उनमें इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से आज देशवासी इस गंभीर विषय पर विचार मंथन करने के लिए बाध्य हो गए हैं कि आखिर राजनीति का अपराधीकरण होगा तो वह देश को किस दिशा में ले जाएगा। माननीय मंत्री जी पोलिटिक्स में क्रिमिनिलाइजेशन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं, यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने पैरा-8 में आखिरी वाक्य में यह कहा है कि उनकी मंशा यह है कि श्रीमती फूलन देवी की हत्या से कुछ लोग राजनीतिक लाभ न उठाने की कोशिश करें। इस प्रलोभन से बचें। मैं जानना चाहता हूं कि उनका संकेत किन की तरफ है और जिनकी तरफ है उनके पीछे उनके आधार क्या हैं, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा? राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए क्या गृह मंत्री जी आगे आने वाले भविष्य में किसी प्रकार का कोई कदम उठाने जा रहे हैं या कोई बिल लाने जा रहे हैं? यदि बिल लाने जा रहे हैं तो वह कब तक लाने जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं?

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद सभापति महोदय। हमको कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह चर्चा थोड़ी देर से उठाई जा रही है। हालांकि जब हमने यह बात निवेदन की थी तो प्रणब जी ने कहा था चूंकि यह हमसे काबिल हैं, बुजुर्ग भी हैं, अनुभवी भी हैं इस समय मामला सरचार्ज्ड है इसलिए इस समय चर्चा न कराई जाए और समय थोड़ा निकल जाए तब कराई जाए। मैं यह मान कर चलता हूं कि जब लोहा गरम होता है तभी उस पर हथौड़ा मारा जाता है कोई नई चीज निकालने के लिए और मुझे दुख है कि थोड़ा विलम्ब हो गया है। तब से देश में कई तरह के किस्से आ गए अखबारों के जरिए। मुद्दा यह नहीं है कि फूलन देवी मारदी गई, एक व्यक्ति थी केवल, मुद्दा यह है कि हम सांसद आडवानी जी से किस मुंह से सवाल पूछें। हमको डर लगता है कि कोई कड़ी बात बोलदें और अपने घर जाते समय हमको कोई मारदे। हम चुप बैठे रहते हैं। आज से 30-32 साल पहले जब हम पहली बार एम.पी बने थे तो रात को दो बजे...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश): यह कोई मुनासिब बात नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र: तो मैं कह रहा था कि जब हम पहली बार एम.पी बने थे और उन दिनों एक मित्र के यहां से रात को दो बजे जाने लगा तो उसने कहा कि अब तुम एम.पी हो गए हो इसलिए इतनी रात नहीं घूमा करो। हमको नहीं मालूम था कि एम.पी होने पर जीवन असुरक्षित हो जाता है। हम यह जानते ही नहीं थे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मन में खुद की पीड़ा है कि हम कल को अपने घर से निकलें संसद आने के लिए या संसद से अपने घर जाने के लिए तो कोई हमको रास्ते में या घर पर मार न दे। यह चिंता ही नहीं पीड़ा है और मैं जानना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री महोदय इसके बारे में क्या इंतजाम कर रहे हैं? यह कहा जाएगा कि वी.आई.पी. एरिया में और एम.पीज़. लोगों के आवास के आसपास सुरक्षा का भरपूर इंतजाम है। यह बात हमने बहुत बार सुनी है। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो करीब एक महीने पहले से हल्ला मच रहा था, कई नेताओं ने बयान भी दिया था जब बम फटा था कि गांधी जी का जीवन असुरक्षित है और तब भी गृह मंत्री जी बोला करते थे और प्रधान मंत्री जी बोला करते थे कि सुरक्षा का सम्पूर्ण इंतजाम है। ऐसा उस समय भी बोला जाता था। घटना घट जाने के बाद इस तरह की चर्चाएं अच्छी नहीं हुआ करती। घटना घटे नहीं यह सरकार इसलिए बनाई गई है। सभापति महोदय, मैं एम.पी की बात इसलिए कर रहा हूं कि आम आदमी पर इसका

बहुत खराब असर जाता है, उसके दिमाग में दहशत सी पैदा हो जाती है। हमने चर्चा के दौरान कह दिया कि शायद आजादी मिलने के बाद एक एम.पी पार्लियामेंट से अपने घर जाते हुए पहली बार मारा गया। तो एक मित्र ने कहा जो सरकारी पार्टी की तरफ से स्टेट मिनिस्टर हैं कि मिसेज गांधी भी मारी गई थीं। तो मैं याद करने लगा कि फूलन देवी एम.पी. थीं और मिसेज गांधी एम.पी. नहीं पी.एम. थीं। जिस पोस्ट पर जो होता है, चाहे वह डेमोक्रेटिक एक्जीक्यूटिव पोस्ट हो, उससे नाराजगी के दूसरे कारण होते हैं। जो पार्लियामेंट का मेम्बर होता है वह तो बिल्कुल गाय जैसा होता है उससे तो किसी को नाराजगी नहीं होगी। कल को हम दाऊद के खिलाफ बोलना चाहें, कल को हम मुशर्रफ के खिलाफ बोलना चाहें, कल को हम बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ बोलना चाहें, कल को हम सरकार के खिलाफ बोलना चाहें, यह हमारी स्वतंत्रता है। हमारे मन में आ गया, हम बोलेंगे, लेकिन अगर हमारे मन में डर समा गया कि हम बोलेंगे तो मार दिये जायेंगे, इसकी गारंटी क्या दे सकते हैं कि यह डर हमारे मन से निकल जाए? जब लोहा गर्म था, प्रणब मुखर्जी जी आप हमारे से सीनियर हैं, हमसे अधिक अनुभवी हैं, आपकी मैं इज्जत करता हूं, उस समय अगर हथौड़ा मारा गया होता तो कोई नयी चीज निकल कर आती। उस दिन मांग की जाती कि गृह मंत्री बना ही इसलिए है कि वह हमारी सुरक्षा करे। अगर वह सुरक्षा नहीं कर सकता है तो नैतिकता के आधार पर उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज मामला इतना ठंडा हो गया है कि यह बात कहने का मन नहीं कर रहा है। हमारे मन में जो पीड़ा है उसका उद्गार....(**व्यवधान**)... हमको अच्छी तरह से याद है।...(**व्यवधान**)...

डा. महेश चन्द्र शर्मा (राजस्थान)**:** आप स्पष्टीकरण मांगे, यह बहस का समय नहीं है। ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, यह स्पष्टीकरण पूछने का समय है, यह बहस का समय नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र: हमारी पीड़ा का स्पष्टीकरण नहीं होगा।...(**व्यवधान**)...

डा. महेश चन्द्र शर्मा: सभापति महोदय, हमें भी स्पष्टीकरण मांगने है।

श्री सभापति: लेकिन है यह क्लेरिफिकेशन ऑन दा स्टेटमेंट।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, यह सच है। जब कोई मंत्री वक्तव्य देता है तो उसके बाद चर्चा केवल स्पष्टीकरण तक आकर के सीमित हो जाती है, लेकिन यह घटना ऐसी नहीं थी कि केवल स्पष्टीकरण मांगा जाए। हमारे मन में पीड़ा हुई, श्रीमती फूलन देवी की हत्या से उसका कोई संबंध नहीं है। हम अपनी पीड़ा का निराकरण इस सरकार से और गृह मंत्री जी से नहीं चाहेंगे? और चाहेंगे तो क्या यह स्पष्टीकरण में नहीं आता है? सच है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश)**:** सभापति महोदय, इसके लिए अलग से मोशन आ सकता है, अलग से कालिंग अटेंशन आ सकता है, अलग से शार्ट ड्यूरेशन डिसकशन हो सकता है, लेकिन स्पष्टीकरण के बारे में इस तरह की बहस करना...।

MR. CHAIRMAN: 'Clarifications' means, clarifications. You just seek clarifications on the statement of the Home Minister.

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, अच्छी बात है। एक तो हम चाहेंगे कि इसका निराकरण होना चाहिए। निराकरण इसलिए भी कि हम लोग अक्सर बातचीत में स्वभाव के ढपोरशंखी होते हैं। हमने जान-बूझकर कहा था कि संसद से घर जाते समय या घर से संसद आते समय कोई एम.पी. मारा जाता है तो इस पर गृह मंत्रालय क्या कार्यवाही करेगा? यह हमने गृह मंत्री जी से जानना चाहा था। उस समय हमारे एक मित्र ने कहा वह सरकारी पार्टी में तो नहीं हैं, लेकिन वह इसी सदन में हैं। हमने कह दिया कि तफरीहन कोई एम.पी. कनाट प्लेस घूमता हो और मार दिया जाए तो संसद की गरिमा को धक्का नहीं लगेगा, उन्होंने कहा नहीं, तफरी करने के लिए भी कोई जाये तो नहीं मारा जाना चाहिए। हमने कहा कि यह तो कुतर्क हो गया, ढपोरशंखी है। कोई भी आदमी कनाट प्लेस में तफरी करता हो या सिनेमा देखता हो और वह व्यक्ति मारा जाए तो कानून के हिसाब से उसको गोली नहीं मारी जा सकती है, लेकिन यह ढपोरशंखी की बात है। आप स्पष्टीकरण केवल फूलन देवी पर चाहते हैं।

श्री सभापति: देखिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: अपने वक्तव्य में गृह मंत्री जी ने केवल फूलन देवी का ही जिक्र नहीं किया है, उन्होंने अपराधीकरण को भी उसमें रखा है, उन्होंने अपराधीकरण शब्द का इस्तेमाल किया है इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए, केवल स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा। समाज में ....(**व्यवधान**)... सिंहल साहब आप कुछ कहेंगे।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: हां, मैंने यही कहना है कि एक स्ट्रक्चलरल डिबेट इस पर हो जाए तो बेहतर है। इस तरह से एक परम्परा को तोड़ना मुनासिब नहीं है। मैं पिछली दफा खड़े होकर कुछ बातें कह रहा था तो मुझे मजबूर किया गया कि केवल स्पष्टीकरण पूछो, सिर्फ प्रश्न पूछो। मेरे ऊपर भी यही बंदिश मुरादाबाद के मामले में लगाई गई थी।...

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: उस समय आपको कैसा लगा जब बंदिश लगाई गई थी।...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): किसी विषय की गंभीरता होती है उसके बारे में भी आपको समझना चाहिए।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, गृह मंत्री जी ने अपराधीकरण शब्द का इस्तेमाल किया है। इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है इसको इन्होंने खुद कबूल किया है कि चर्चा यह सदन कर चुका है, दोनों सदन कर चुके हैं। अपराध का एक मायना हुआ करता है, जो कानून की धाराओं में है और उन धाराओं के मुताबिक अगर कोई कृत्य करता है तो वह अपराधी माना जाता है। किन्तु पूरा समाज और उसकी व्यवस्था ही अगर अपराधी हो गयी हो तो? कोई सौ रुपया लगाकर प चास हजार रुपये कमाना चाहता है, यह अपराध नहीं है लेकिन यह अपराध है कि कोई पांच रुपये जेब काटकर छीन ले। इस पर कभी बहस नहीं होगी, पूरे समाज को बिगाड़ने के लिए किसके ऊपर दोष दिया जाएगा? लोकतंत्र पर, गृह मंत्री पर, वित्त मंत्री पर, प्रधान मंत्री पर या किस व्यवस्था

पर?...(**व्यवधान**)... चूंकि अपराधीकरण शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है और हम इस सरकार के ही गृह मंत्री और वित्त मंत्री की बात नहीं करते।...(**व्यवधान**)... राजनाथ जी, हम इस सरकार के ही गृह मंत्री, वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री की बात नहीं करते।...(**व्यवधान**)... जितनी सरकारें बनी होंगी, सबकी बात कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)... मैं उसी पर आ रहा हूं। अपराधीकरण से...

श्री सभापति: आप सवाल कर दीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: मैं सवाल ही कर रहा हूं। अगर समाज में वे अपराध जो व्यवस्था के मुताबिक अपराध नहीं है, होते रहेंगे तो छोटे अपराधों को नहीं रोका जा सकता है और अपराधी – यह सही है कि फूलन देवी की तरफ इशारा था कि कभी उसका चरित्र आपराधिक था और वह कैंसर की तरह से उजागर हुआ है – यह उनके वक्तव्य में है लेकिन मैं विनोबा जी का नाम लूंगा, जय प्रकाश जी का नाम लूंगा, और भी कांग्रेस पार्टी के एक दो मुख्य मंत्रियों का नाम लूंगा जिन्होंने बड़े-बड़े शातिर अपराधियों का आत्मसमर्पण कराया और वे सुधरकर बढ़िया जिंदगी जीने लगे। जिन्होंने हथियार रख दिये और फिर कभी नहीं उठाए।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। माननीय सदस्य बहुत अर्थपूर्ण बातें कह रहे हैं, बहुत सार्थक बातें कर रहे हैं लेकिन अगर इसको किसी दूसरे मौके पर लिया जाए तो बेहतर है।

श्री सभापति: आप लोग मिलकर इस पर एक नोटिस दीजिए, फिर देखेंगे।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: इसके लिए नोटिस वह दें। हम तो चाह रहे हैं कि इस पर सिर्फ स्पष्टीकरण पूछे जाएं क्योंकि बीस मिनट निकल चुके हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप इस पर केवल क्लैरीफिरकेशन पूछिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: क्लैरीफिकेशन पर ही आ रहा हूं। महोदय, अगर गृह मंत्री जी का खुद का दिमाग ही अपराधीकरण के सवाल पर साफ नहीं होगा तो मैं स्पष्टीकरण किस बात के लिए मांगूंगा। इसलिए मेरे..

श्री सभापति: यह गृह मंत्री का माइंड साफ करने का वक्त नहीं है। उन्होंने बयान दिया है, उस पर अगर आपने कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ क्लैरीफिकेशंस पूछने हैं तो वह पूछिए। जनरल थीसिज़ की बात नहीं है।

श्री जनेश्वर मिश्र: केवल अपराधीकरण ही नहीं है। अखबारों में बता छप गयी – उसके परिवार के लोग, कौन लोग, कई बदलाव और कई लोगों के नाम – गृह मंत्री जी उसको डकार गये हैं। हम भी नहीं चाहते कि उस पर बहुत चर्चा हो लेकिन इतना जरूर चाहेंगे कि गृह मंत्री जी बार – बार जो यह कह देते हैं कि कोई भी राजनैतिक पार्टी इसका राजनैतिक लाभ न उठाए तो महोदय, एक सांसद मार दी जाए तो भी वह राजनैतिक घटना नहीं मानी जाएगी। देश की आम जनता पर जो प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए गृह मंत्री जी अपने वक्तव्य में बताएं वरना राजनैतिक फायदा न उठाएं पर्दा डालकर के कि "तुम लोग इस हत्या का राजनैतिक फायदा मत उठाओ।" मैं कहना चाहता हूं कि यह साफ तौर पर एक राजनैतिक हत्या थी, साजिश थी। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ दोस्तों ने बयान दे दिया कि यह राजनैतिक साजिश है जिसके तहत गृह मंत्री जी ने यह बयान दे दिया। महोदय, किसी के घर का

कोई जवान बेटा मरता है तो आदमी ईश्वर को भी भला-बुरा कह देता है। मैंने कई बूढ़ी औरतों को रोते हुए ईश्वर को भला बुरा कहते हुए सुना है लेकिन इस पर घबराना नहीं चाहिए। पचौरी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का दिल्ली वाला आवास, जब यह राज्य सभा के मैंबर थे, फूलन देवी के बगल में है, वहां सुरक्षा गार्ड हैं। गोलियां चलीं, पर सुरक्षा गार्ड चुप थे। अगर हमने अंगुली उठा दी तो क्या बुरा किया? एक सांसद मारी गयीं। गृह मंत्री जी गृह मंत्रालय चला रहे हैं,अगर हम इनकी तरफ अंगुली उठा दें तो हम गुनहगार हो जाएंगे और ये लोग कहेंगे कि केवल स्पष्टीकरण मांगे।...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: और भी सदस्य हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र: इसमें सफाई के साथ गृह मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए ताकि देश को संदेश जाए कि अब किसी की जिंदगी असुरक्षित नहीं रहेगी। धन्यवाद।

प्रो. रामदेव भंडारी (बिहार): महोदय, संसद भवन के एक किलोमीटर के अंदर अतिविशिष्ट वीवीआईपी क्षेत्र में अगर एक सांसद की दिनदहाड़े हत्या होती है तो इसकी जवाबदेही गृह मंत्री जी की ही होगी। पिछले कुछ महीनों में नार्थ ब्लाक, साऊथ ब्लाक, लाल किला, सेना भवन जैसे क्षेत्रों में बम का मिलना यह प्रमाणित करता है कि गृह मंत्रालय दिल्ली के लोगों की जान-माल की रक्षा करने में बिल्कुल अक्षम है। अगर एक सांसद ...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: सर, केवल प्रश्न पूछे जाएं...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार (गुजरात): अभी शुरू किया है।...(**व्यवधान**)...

प्रो. रामदेव भंडारी: महोदय, एक सांसद की दिन-दहाड़े हत्या हुई है...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: जहां उत्तेजना होनी चाहिए वहां नहीं दिखाई...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार: सिंहल साहब, आप लोगों को बोल दीजिए। जो आप लोग कहेंगे वहीं बोलें...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : सर, ये प्रश्न पूछें...(**व्यवधान**)...

प्रो. रामदेव भंडारी: महोदय, एक सांसद की हत्या हुई है और बर्बतापूर्वक हुई है। गृह मंत्री जी को सांसदों को आश्वस्त करना होगा कि जो सांसद पार्लियामेंट में आते हैं और यहां से जाते हैं, संसद सत्र चलने के समय और इन्टर सैशन के समय उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था करेंगे। अगर एक सांसद मारा जाता है तो आम-आदमी की क्या हालत होगी, आम आदमी का जीवन कितना सुरक्षित है, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। महोदय, गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 1.20 पर उनके निवास के सामने गेट पर उनकी हत्या हुई है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि सरकार को इस बात की सूचना कब मिली और कितने बजे संसद को इसकी सूचना दी और इसमें इतना विलम्ब क्यों लगा। जब कि दूसरे माध्यमों टी.वी. चैनल या व्यक्तिगत माध्यमों से इसकी सूचना मिल गई फिर सरकार को इसकी सूचना इतने विलम्ब से क्यों मिली? एक सांसद मारा जाता है और इसकी सूचना सरकार सदन को विलम्ब से देती है, इसके संबंध में मंत्री जी का क्या कहना है?

दूसरी बात गृह मंत्री जी ने यह कही है कि उनको जुलाई, 1994 से 24 घंटे सादे कपड़ों में तीन व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराए गए थे मगर जिस समय फूलन जी पार्लियामेंट से अपने निवास 44 अशोक रोड पर गई थी उस समय उनके साथ सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी था अन्य तीन सुरक्षा कर्मी कहां थे? उन्हें जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही थीं। समाचारपत्रों में जो कुछ छपा है उसके अनुसार उन्होंने भदोही डिस्ट्रिक्ट मैजेस्ट्रेट और सुप्रिन्टेंडेंट पुलिस से एडिशनल सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए कहा था लेकिन उनको एडिशनल सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराई गई। उनको केवल एक आदमी की सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिली थी। वे लगातार सरकार से गुहार करती रही कि उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। इसकी जवाबदेही गृह मंत्री जी को जाती है।

महोदय, मैं साऊथ एवेन्यू में रहता हूं और अन्य माननीय सांसद भी इसके इर्द-गिर्द रहते हैं, कोई खास सिक्योरिटी की बात नहीं है और हमारे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। हम सुबह टहलने के लिए आते-जाते हैं। एक किलोमीटर, दो किलोमीटर निकलते हैं और इस तरह की घटना घटती है तो कोई सांसद घर से कैसे निकलेगा?

जब 44 अशोक रोड के गेट पर एम.पी. मारा जा सकता है तो कल कोई बंदूक लेकर किसी तरह से चोरी-छिपे आकर संसद का जो कैम्पस है उस कैम्पस के अंदर भी यह घटना कर सकता है। सभापति जी, दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बहुत खराब स्थिति है। फूलन देवी की हत्या के पीछे जो कुछ अखबारों में छप रहा है वह असली मोटिव नहीं लगता है। फूलन देवी पिछड़े वर्गों की एक बहुत सशक्त महिला थीं। पिछड़े वर्गों में भी गरीब लोगों में वे बहुत पापुलर थीं और जनसाधरण उन्हें पसन्द करता था, भले ही उनका पूर्व का जीवन कुछ भी रहा हो। इधर उन्होंने गरीब लोगों के बीच जो काम किया था उससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। अभी अखबारों में भी छपा है, कल्याण सिंह जी का बयान भी आया है कि हमारी भी सिक्योरिटी छीन ली गई है। पिछड़े वर्गों के जो बड़े नेता हैं उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वैसे सबको सिक्योरिटी की जरूरत है मगर पिछड़े वर्गों के जो नेता उभर कर आ रहे हैं, जिसका मॉस फोलोइंग है, उनकी जान को खास खतरा है। गृह मंत्री जी, सांसदों की जान की रक्षा के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं, उनकी हत्या न हो इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, फूलन देवी जी की हत्या एक बहुत दुखद प्रकरण है, खास तौर से हम लोगों के लिए क्योंकि इस सदन में दो लोग ऐसे हैं, बी.पी. सिंहल जी और मैं जिन्होंने काफी सालों तक फूलन देवी जी के पहले के जीवन का बहुत करीब से मुकाबला किया था। मैं बीहड़ों में कोरेस्पोंडेंट होता था और ये एंटी डेकोटी ऑपरेशन के डी.आई.जी. होते थे। फूलन देवी जी के जमाने का लगातार तीन साल तक का जो लुका-छिपी का खेल था उसे मैंने सालों रिपोर्ट किया, एक-एक जगह, गांव में जहां-जहां होता था। इसलिए आज जो इस तरह से हुआ है उसका मुझे सचमुच बहुत दुख है। मैं बजाय इसके कि इस सारे प्रकरण की या हत्या की तुलना महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी से करूं मैं गृह मंत्री जी से सीधे-सीधे चार-पांच बातें पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं उत्तरांचल पुलिस और दिल्ली पुलिस की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने तीन-चार दिन के अंदर सारे अपराधियों को पकड़ लिया। लेकिन क्या गृह मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले आठ, नौ दिन से जो इंटोरेगेशन

चल रहा है उसमें अपराधियों ने क्या कारण बताए? कुछ बताया कि क्या वजह थीं? क्यों मारा? अब तो आठ-दस दिन हो गए हैं। इतने लंबे इंटेरोगेशन के बाद पुलिस किसी नतीजे पर जरूर पहुंची होगी कि क्या वजह थी उन्हें मारने की, कौन लोग किस तरह से इन्वोल्व थे और उन्होंने क्यों मारा? अगर इस पर रोशनी डालने की कृपा करें तो बहुत अच्छा होगा। आज तक इस कारण का पता नहीं चल पाया। क्लूज क्या मिलें? अगर ये सारी बातें गृह मंत्री जी बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। पोलिटिकल मोटिव था या नहीं? अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं वे क्या किसी पार्टी से संबंधित हैं? उनका फूलन देवी के यहां कब से आना-जाना था? उनके आस-पास के लोग उन्हें कब से जानते थे, यह भी बताने का कष्ट करें। एकलव्य सेना से उनका ताल्लुक था या किससे था,अगर इस बात पर रोशनी डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। उनकी बहिन मुन्नी देवी जी कह रही हैं कि उनके पति ने मारा है और खूब जोर-जोर से चिल्लाकर यह बात कह रही हैं कि उनके पति ने मारा है, इससे बहुत कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस पर कुछ रोशनी, कुछ स्पष्टीकरण या साफगोई से मंत्री जी कुछ बताने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक दल ने आरोप लगाया है कि इसमें मुख्य मंत्री शामिल हैं। वहां के गृह राज्य मंत्री फूलन देवी के घर आए थे। उसे लेकर राजनीतिक दल की ओर निशाना साधा जा रहा है। इस पर गृह मंत्री जी अपने बयान में एकदम मौन हैं। उन पर यह जो एक पार्टी का, एक राजनीतिक दल का आरोप आ रहा है,उस पर उनका क्या जवाब है कम से कम यह बताने का कष्ट करें। अभी जैसा कि तमाम सदस्यों ने सांसदों की सुरक्षा का सवाल उठाया, मैं कहना चाहता हूं कि सांसदों की सुरक्षा निश्चित तौर पर चिंता का विषय है।इसकी सीधी मोनिटरिंग होम मिनिस्ट्री करती हैं इसलिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने यह पॉलिसी बनाई है,यू.पी. गवर्नमेंट ने भी बनाई है और अपने हर एम.पी. को एक-एक सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया है। मैं भारत सरकार से कहता हूं कि हर एक एम.पी. को एक-एक सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए।वे एम.पी. जो सुरक्षा चाहते हैं, जो लिखकर देते हैं कि मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए उन्हें दिल्ली पुलिस या सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस गृह मंत्रालय की ओर से एक-एक सुरक्षा गार्ड जरूर दिया जाए। इसी तरह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यह पालिसी अख्तियार की है, दूसरे तमाम राज्यों की सरकारों ने की है तो इसे यहां भी किया जा सकता है और इससे उसका बेजा इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगा। अभी तक क्या होता है कि कुछ राज्यों में सरकार दूसरे दल की है और एमपीज दूसरे दलों के हैं। तो जासूसी का काम भी न हो,इसके लिए अगर केंद्र सरकार की तरफ से यह दिया जाता है तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार सांसदों की सुरक्षा और उनकी ह्यूमिलियेशन का मामला आ जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आज कोई भी सांसद नार्थ ब्लाक में अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। उसको रेल भवन के पास गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, वहां पैदल जाना पड़ेगा। अगर उसको वहां जाना है तो पैदल नार्थ ब्लाक जाए और वहां से रेल भवन पैदल आए। जब तमाम छोटे छोटे अधिकारियों की गाड़ियां वहां पर पार्क हो सकती है तो मुश्किल से एक वक्त में दस सांसद जाते होंगे नार्थ ब्लाक साउथ ब्लाक। जहां दो हजार, तीन हजार गाड़ियां पार्क हो रही हैं वहां दस और गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। लेकिन गृह मंत्री जी को इसका पता भी नहीं होंगा। नीचे से इस तरह का आदेश हो गया होगा कि एमपी की गाड़िया वहां पार्क नहीं होगी। अगर ड्राइवर ले जाते हैं तो उनको बुलायेंगे कैसे या तो मोबाइल फोन उसके पास होना चाहिए। यह एक छोटी सी बात है जिसको मैं उदाहरण देकर कह रहा हूं कि अगर इन दिक्कतों पर ध्यान दिया जाए तो शायद सांसदों के लिए सहूलियत हो जाएगी। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, everybody should restrict to two minutes.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी मेरी बारी आने पर आपने दो मिनट कर दिया।

श्री सभापति: लंबा बहुत हो गया है,उनको जवाब भी देना है।...(**व्यवधान**)... आप दो मिनट में खत्म कर दीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: धन्यवाद, सभापति जी। महोदय, मैं फूलन देवी की स्मृति में उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। फूलन देवी की निर्मम हत्या आज हम सब के सामने कई सुलगते प्रश्न छोड़कर चली गई है। गृह मंत्री जी यह प्रश्न आपके लिए हैं, आपकी सरकार के लिए हैं और हमारे समाज के इस जड़ीभूत ढांचे के लिए है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि फूलन देवी का जीवन फूलों की सेज नहीं था। जीवन के ऊबड़-खाबड़ और जोखिम भरे रास्तों से गुजरता हुआ उनका एक पीड़ादायी सफर था। सामंती समाज, जातिगत उत्पीड़न और पितृ-सत्तात्मक समाज के नारी विद्वेष मूल्यों के बीच में पली फूलन देवी ने जब हार नहीं मानी और प्रतिशोध...(**व्यवधान**)... आप चुप तो रहिए। अभी तो मेरा समय भी नहीं हुआ है और आप उठकर खड़े हो गए। सभापति जी ने जो समय निर्धारित किया था वह भी पूरा नहीं हुआ। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: महिला सांसद की हत्या का मामला है और एक महिला सांसद को नहीं बोलने दिया जा रहा है।...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं अपसे सिर्फ इतना सवाल करना चाहती हूं कि क्या सदन में दर्द का रिश्ता खत्म हो गया? हमारे लिए क्या केवल समय का रिश्ता रह गया है, क्या हमारे बीच दर्द का रिश्ता नहीं है, इसके कोई मायने नहीं है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा समय दीजिए। आप समय की सीमाओं के साथ साथ संबंधों के दर्द को भी समझें।

सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहती हूं....(**व्यवधान**)... बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात कह रही हूं। लेकिन फिर भी पता नहीं आप क्यों खड़े हो जाते हैं?...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: इसलिए खड़े हैं कि समय के अभाव में हम मारे जाते हैं।

....(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र: गोली मार दो हमको अगर समय कम है। हम लोगों को गोली मार दो।...(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" (उत्तर प्रदेश): अपराधियों को गाड़ियों में लेकर घुमाइए उसके बाद फिर कहें कि गोली मार दो। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप खत्म करिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे सांसद इतने असंवेदनशील क्यों होते जा रहे हैं? बहरहाल, मेरा सवाल है जो मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: जिस पृष्ठभूमि में मैं चर्चा कर रही थी उस पृष्ठभूमि को रखना जरूरी था। इसके बावजूद अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं सीधे सीधे सवाल करना चाहूंगी।

गृह मंत्रीजी आपने अपने बयान में जिस बात का उल्लेख किया है और आपने उसमें जिन शब्दों का व्यवहार किया है उन्हीं का मैं यहां पर उद्धरण देना चाहूंगी। आपने अपने बयान में कहा है कि "श्रीमति फूलन देवी की नृशंस हत्या ने एक बार फिर राजनीति के अपराधीकरण के उस कैंसर को उजागर कर दिया है, जिसने भारतीय लोकतंत्र को आहत किया है"। मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि आपने अपने बयान में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का उपयोग किया है, क्या इससे आपको कुछ संकेत मिले हैं कि इस घटना के पीछे राजनैतिक हाथ था? अगर राजनीतिक हाथ थे, अगर राजनीतिक तत्व थे तो वे कौन से तत्व थे जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस घटना के सूत्रधार बने? सभापति महोदय, अब तक इस घटना के संबंध में हमारे सामने जितने भी तथ्य आए हैं, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने तुरत-फुरत यह निष्कर्ष निकाल दिया। इससे जाहिर है कि वह समझते हैं, पता नहीं किस पृष्ठभूमि से जोड़ रहे हैं, फूलन देवी जी की पृष्ठभूमि से जोड़ रहे हैं या सामान्यतः यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं। मेरा सीधा-सादा यह सवाल है कि क्या उनके जेहन में या जांच के दरम्यान या जांच के बाद में आपके सामने कोई ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे इस घटना के साथ राजनीतिज्ञों के जुड़े होने का सवाल उठता है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि फूलन देवी को बार बार इस खतरे का अहसास था कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है और बार बार उन्होंने सदन में गुहार की थी, उत्तर प्रदेश प्रशासन से सुरक्षा मांगी थी, सदन ने आवाज उठाई, दिल्ली प्रशासन से सुरक्षा मांगी लेकिन इसके बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। आपने अपने बयान में कहा है कि एक सशस्त्र पुलिस का जवान उनकी सुरक्षा में था। मैं यह जानना चाहूंगी कि गृह मंत्रालय का विशिष्ट व्यक्तियों या सांसदों की सुरक्षा का आक्कलन क्या है? जिनको अपनी जिन्दगी का खतरा है, वह यह सवाल उठा रहे हैं, हम कभी मांग नहीं करते हैं, लेकिन जिनको अपनी जिन्दगी का खतरा है और वह मांग करते रहे हैं लेकिन आपकी सुरक्षा का आक्कलन क्या रहा? एक सांसद जिस तरह से निमर्म ढंग से मारी गई, हम कुछ नहीं कर सके, क्या यह आपकी सुरक्षा के अक्कलन पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? तीसरी बात यह है कि अब तक जो तमाम तथ्य आए हैं, उनसे लगता है कि यह छोटी-मोटी बदले की कार्यवाही नहीं है। शेर सिंह राणा ने जो कहा कि बेहमई का बदला ले लिया, यह जो तमाम तथ्य सामने आए हैं, उनसे लगता है कि बहुत ही सोची समझी सुनियोजित साजिश रची गई थी। इस साजिश का पता लगाएं, जांच करें। मैं समझती हूं कि तभी हमारे सामने इस घटना का पूरा खुलासा होगा कि आखिर यह घटना कैसे घटी, कौन इसके लिए जिम्मेदार थे, कौन लापरवाह थे। मैं आशा करती हूं कि गृह मंत्री जी इन तमाम सवालों का जवाब देंगे।

श्री सभापति: श्री गवई। सवाल पूछिये।

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Mr. Chairman, Sir, I will be very brief and put only two-three questions. Howsoever exhaustive statement is

made by the hon. Home Minister, as much as possible, he will only reveal the *modus operandi* of the inquiry. During the investigation, some broader guidelines for the investigation have come out. First, the press releases indicate that the plot is more deep. Secondly, the kith and kin of Phoolan Devi's family have come forward. As has been indicated in the newspapers, it may be a property matter; therefore, whatever the kith and kin of Phoolan Devi's family say, should be treated as a part of the investigtion before reaching a proper conclusion. Then, whatever may be the motive — it may be political; it may be criminal -- the person who has committed this murder is an offender. Therefore, a proper inquiry should be made, and whosoever is the offender, should be brought to book. These are the questions which I want to put.

श्री सभापति: श्री नागेन्द्र नाथ ओझा। सवाल पूछिये।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): सभापति महोदय, बिल्कुल सवाल पूछेंगे। वैसे तो सब कोई जो भी संवेदनशील है, उद्वेलित है क्योंकि वर्ष 2001 को ईयर आफ वूमेन इम्पावरमेंट घोषित किया गया है। कोई स्त्री शक्ति वर्ष कह रहा है, कोई स्त्री अधिकारिता वर्ष कह रहा है। उसमें एक ऐसी महिला मारी गई जिसने अपनी स्त्री शक्ति को प्रदर्शित किया था। ऐसी महिला मारी गई जिस स्त्री शक्ति की बात हम कर रहे हैं, हर संवेदनशील व्यक्ति उद्वेलित है और कुछ न कुछ कहना चाहता है। लेकिन मैं प्रश्न ही करूंगा। मंत्री जी के बयान के पैराग्राफ 8 में जो कहा गया है

"अत: मैं गम्भीरतापूर्वक प्रत्येक राजनैतिक दल से अनुरोध करता हूं कि न तो आपराधिक तत्वों के साथ किसी प्रकार के संबंधो को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करें और न ही कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो उससे किसी प्रकार का राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश करने के प्रलोभन में पड़ें" मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या सचमुच गृह मंत्री जी गंभीरतापूर्वक अनुरोध कर रहे हैं? यदि गंभीरतापूर्व अनुरोध कर रहे हैं तो क्या एक आयोग के जरिए या खुद अपने गृह मंत्रालय के जरिए एक श्वेत पत्र तैयार करके पार्लियामेंट में पेश करेंगे एक सूची के साथ कि किन राजनीतिक दलों ने कितने राजनीतिक अपराधियों को संरक्षण दिया है और संसद तथा असेम्बलियों में पहुंचाया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन और दूसरे हल्कों से यह बात आती है कि कितने दलों के पास, कितने अपराधी एम पी और विधान सभाओं में सदस्य हैं। वे सचमुच अगर गंभीर हैं तो क्या गंभीरता से इसको सदन में लाएंगे? पहला प्रश्न मेरा यह है।

दूसरा प्रश्न यह है – हो सकता है सभापति जी उसमें कुछ प्रश्न करने की भी इजाजत देंगे या नहीं देंगे लेकिन मैं प्रश्न करूंगा क्योंकि यह पैरा सात है, जिसमें लोक सभा के अध्यक्ष के वक्तव्य या शोक प्रस्ताव में वहां जो कहा गया है, उसका उद्धरण है। इसमें कहा गया है – लोक सभा में अपने शोक प्रस्ताव में कहा कि श्रीमती फूलन देवी का जीवन समकालीन भारत की सामाजिक वास्तविकताओं को दर्शाता है। ये कौन सी वास्तविकताएं हैं? यह प्रश्न सबसे ज्यादा उद्वेलित कर रहा है। क्या उन वास्तविकताओं की चर्चा या संकेत देना चाहते हैं जिन

वास्तविकताओं ने फूलन देवी को हथियार उठाने के लिए बाध्य किया? कैसी वास्तविकताएं – जैसे उसका बाल अवस्था में विवाह, जैसे कहा गया कि बलात्कार की घटना हुई, जैसे कहा गया कि जिससे वह प्रेम करती थी उसकी हत्या हो गयी। बदला लेने के लिए उसने हथियार उठाया। किन वास्तविकताओं की ओर आप संकेत करना चाहते हैं? या फिर यह संकेत देना चाहते हैं कि एर दलित, पीड़ित महिला अगर सांसद बन जाती है और पूर्व में कोई घटना उसने की है तो उसका बदला लिया जाएगा? यह हमारे समाज की वास्तविकता है। उसको जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। संक्षेप में मैं उन वास्तविकताओं का एक्सप्लेनेशन चाहता हूं। हम अपने गृह मंत्री को जरूर संवेदनशील मानते हैं। उसका उदाहरण देकर इस तरफ संकेत किया है। तो ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो जिन सामाजिक वास्तविकताओं को बदलने के लिए – जिस कदम का मैं स्वागत करता हूं – और स्त्री शक्ति की आज जो ये बात कर रहे हैं, हम समझते हैं कि इस तरफ वे थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे।

तीसरा एक और सीधा सा प्रश्न है। जैसा कि हमारे एक और मित्र ने कहा कि आठ दिन बीत गए हैं तथा कई और तथ्य प्रकाश में आए हैं। तथ्य प्रकाश में आया कि जिस दिन की घटना है, दूसरा दिन बेल होता है उस आदमी का जिस आदमी ने यहां दिल्ली में आकर हत्या की। दिल्ली में आकर जो हत्या करता है वह कागज में, रिकार्ड में जेल में बंद था। उसके नाम पर दूसरा जेल में था। यह भी क्या उस राज्य के अंदर गृह मंत्रालय का मामला नहीं है? यह कितना चिंतनीय है? हमारी न्याय प्रणाली पर सवाल उठता है। हमारे प्रशासन की सक्षम जेल व्यवस्था पर सवाल उठता है। क्या गृह मंत्री जी बताएंगे कि जिस आदमी, जिस शर्मा को खोजा जा रहा है बिहार के अंदर, उसके घर पर छापा मारा गया और पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? पता नहीं। लेकिन वही आदमी था जिसकी बेल हुई, जो जेल के अंदर डाला गया था। मान लेते हैं किसी गड़बड़ी से, भूल से जेल में चला गया। तो जेल में चला गया। बेल हुई। इस बीच में कितनी अवधि मिलती है? क्या उसके अंदर भी जेल प्रशासन को यह पता नहीं कि किस आदमी के नाम पर कौन बन्द है? फिर बेल भी हो जाता है। यह कौन सी न्याय प्रणाली है? यह कौन सी जेल व्यवस्था है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है और हम समझते हैं कि यह एक काफी गंभीर मामला है क्योंकि अखबारों में तो हम बहुत वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं कि जेल में जो आदमी बंद है, रात में निकलता है, जाकर डकैती और किडनैपिंग करता है, फिर जाकर जेल में बंद हो जाता है। उस पर हम कोई सबूत दे सकें या नहीं दे सकें लेकिन यह तो एक खुला सबूत है कि जो आदमी जेल में बंद है वह दिल्ली में इतने सेंसिटिव एरिया में आकर हत्या करता है।

फूलन देवी की हत्या हो गयी। राजीव गांधी की हत्या हो गयी। इंदिरा गांधी की हत्या हो गयी। गांधी जी की हत्या हो गयी। जैन कमीशन बनने के बाद भी हमारा देश नहीं जान सकेगा राजीव गांधी हत्या के सम्पूर्ण प्रकरण को और सम्पूर्ण मामले को। शायद न्यायालय में फूलन देवी के इस प्रकरण में, इस हत्या के मामले को लेकर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी लेकिन देश कभी नहीं जान सकेगा और कोई भी सांसद मेरा दावा है कि कभी भी फुल तथ्य नहीं जान सकेगा। लेकिन यह प्रश्न उद्वेलित कर रहा है कि वह जेल में बंद अपराधी है, किस तरह से निकलता है और आकर पार्लियामेंट के निकट गोली दागता है और एक सांसद की हत्या करता है। यह काफी गंभीर है। हम समझते हैं कि इस मामले में गृह मंत्री जी को अब तक अखबारों में जो बात आई है उसके बाद से क्या रिपोर्ट है...। हालांकि इसमें उसका प्रसंग नहीं है, आठ दिन बीतने के बाद ये मामले हैं जो यह प्रश्न बनता है। धन्यवाद।

श्री सभापति: नरेन्द्र मोहन जी, आप भी सवाल ही कीजिएगा।

श्री नरेन्द्र मोहनः सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं केवल प्रश्न ही करूंगा।

सभापति जी, गृह मंत्री जी ने सूत्र रूप में बहुत सी बातें कही हैं। मुख्य बात मेरी दृष्टि में यह है कि जिस प्रकार से फूलन देवी को कुछ लोगों ने यहां महिमा मंडित करने की चेष्टा की, स्त्री शक्ति का प्रतीक बताया, मेरी दृष्टि में तो और यह भारतीय राजनीति का वह कैंसर है जिसकी चर्चा स्वयं गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में की। आखिर हमारे देश के राजनीतिक दल....(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार: अब आप क्या कर रहे हो?...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन:* ...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार: अब आप क्या कर रहे हो?...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : देखिए ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : क्यों कत्ल किया गया ...(**व्यवधान**)...

प्रो. रामदेव भंडारी : सभापति जी, फूलन देवी को ...(**व्यवधान**)... अभी भी कह रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। ...(**व्यवधान**)...

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश) **:** मरने के बाद तो कुछ भी नहीं कहा जाता।

श्री सभापति : देखिए, कोई ऐसी बात नहीं कहे ...(**व्यवधान**)... इस तरीके से ...(**व्यवधान**)... नहीं-नहीं, यह गलत है। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। बैठिए-बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप तो सिर्फ सवाल कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : जब भी हम बोलते हैं तो विपक्ष इतना शोर मचाता है कि बात आगे नहीं बढ़ती । ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नहीं ...(**व्यवधान**)... आप बस इसके बारे में सवाल कीजिए। आप सिर्फ सवाल कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दारा सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश) **:** होम मिनिस्टर बनने के लिए चिल्ला रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) **:** श्रीमन्, यह कह रहे हैं कि वह *। इनको यो शब्द वापस लेने चाहिए।...(**व्यवधान**)... यह मुआफी मांगे। ...(**व्यवधान**)...

गृह मंत्री (**श्री लाल कृष्ण आडवाणी**) **:** सभापति जी, मैं इस अवसर पर ...(**व्यवधान**)...

श्री दारा सिंह चौहान : पहले आप मुआफी मांगिए। इसके बाद गृह मंत्री जी का बयान आए। ...(**व्यवधान**)...

Expunged, as ordered by the Chair.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, मैं इस अवसर पर ...(**व्यवधान**)... एक क्षण के लिए ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) **:** अगर वह देश की सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए हाथ उठाती है तो वह कोई पाप नहीं करती। आप मेरा चरित्र हनन करिए, मैं पार्लियामेंट में ही आपका ...(**व्यवधान**)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : शायद नरेन्द्र मोहन जी कभी उनसे मिले या बातचीत भी नहीं की होगी। कम से कम मैं इस बात को साफ करना चाहूंगा, जब मैंने राजनीति के अपराधीकरण का उल्लेख किया तो उस पर किसी भी प्रकार से मैंने फूलन देवी पर कुछ कहने की बात नहीं की है। फूलन देवी के बारे में तो मैंने वही कहा है जो नागेन्द्र नाथ जी ने अभी कहा और स्पीकर, लोक सभा ने भी यही कहा कि उसके ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार हुए, जिस प्रकार के जीवन में से वह गुजरी और जिसके कारण उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, जिसके कारण उन पर आरोप आए, लेकिन आगे चल करके वहां की जनता ने, तीन बार वह चुनाव लड़ीं और दो बार जनता ने उनको चुन करके यहां पर भेजा और इसीलिए उनके लिए उस सदन में और इस सदन में सम्मान के भाव के अलावा और कुछ नहीं, मैंने जो बात कही और नागेन्द्र नाथ जी ने क्योंकि मुझ से पूछा, इसलिए मैं उसका स्पष्टीकरण जरूर दूंगा कि किस प्रसंग में मैंने अपराधीकरण की बात की। वह मैं जरूर कहूंगा, इसीलिए, क्योंकि नरेन्द्र मोहन जी ने अभी जो कुछ कहा उससे आभास यही मिलता था जैसे मानो मैंने कहा है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, मैं अपनी बात ...(**व्यवधान**)...

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी : उन्होंने जो शब्द बोले हैं उनको वापस लेना चाहिए।...(**व्यवधान**)...

प्रो. रामदेव भंडारी: इनको शब्द वापस लेने चाहिएं। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार : जो शब्द इन्होंने यूज़ किए हैं उनको विदड्रा करिए और मुआफी मांगिए। दिस इज़ टू मच। ...(**व्यवधान**)... जो शब्द ठीक नहीं हैं इनको निकाल दिया जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : सभापति महोदय, भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि जो स्वर्गवासी लोग हैं उनके बारे में अपशब्द न कहे जाएं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : कृपया इसे रिकॉर्ड से विलेपित करिए। इसे एक्सपंज किया जाए और वे अपने कहे पर खेद व्यक्त करें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आप बुद्ध और महावीर की बात करते हैं ....(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार : आप लोगों को सलाह देते हैं कि यह मत पूछिए, वह मत पूछिए और ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : देखिए नरेन्द्र मोहन जी, असल में आप तो खुद एडीटर हैं, मालिक हैं, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए और यहां ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।

जिन के मर्डर के बाद हम ने यहां सोचना शुरू किया है, बात करनी शुरू की है और आप ने ऐसी बात कर के उस को प्रोवोक कर दिया है। आप को बहुत संयम से बात करनी चाहिए। आप रूलिंग पार्टी के हैं, इसलिए आप बहुत संयम से बोलिए।

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी : सर, वे अपने शब्द वापिस लें ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) **:** सर, इसे रिकॉर्ड से निकाल दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन : मेरा पहला प्रश्न यह है ...(**व्यवधान**)...

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी: पहले ये शब्द वापिस लें।

श्री सभापति : आप का सवाल हो गया, अब मैं दूसरे मेंबर को बुलाता हूं। बस हो गया।

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, आप ने जो निर्णय दिया है, मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा हूं। आप की दी हुई व्यवस्था मुझे स्वीकार्य है...(**व्यवधान**)...।

श्री सुरेश पचौरी : सभापति जी, आप इतने अनुभवी हैं और आप ने संकेत में सारी बात कह दी है, फिर भी वह नहीं समझ पा रहे हैं। मैं समझता हूं इसे रिकॉर्ड से विलेपित कर देना चाहिए।

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, आप के द्वारा दी गयी व्यवस्था मुझे स्वीकार्य है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : देखिए, मेरी बात सुनिए नरेन्द्र मोहन जी। होम मिनिस्टर जी ने भी जिस तरह से बात की है, कम-से-कम उस के बाद तो आप को जरा सोचकर बोलना चाहिए।

श्री नरेन्द्र मोहन : आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, आदरणीय आप ने व्यवस्था दी, महोदय मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : आप ने आहत तो कर दिया है।

श्री नरेन्द्र मोहन : जो आहत हुए हैं, उस के प्रति मुझे खेद है। मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता ...(**व्यवधान**)... लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राजनीति में ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सदन की गरिमा को आहत किया है इन्होंने ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन : मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति जिस ओर जा रही है, उस ने अपराधीकरण के कैंसर को उजागर कर दिया है। इस से भारतीय लोकतंत्र आहत हो रहा है। यह टिप्पणी गृह मंत्री जी की है। इस ने राजनीति के अपराधीकरण के उस कैंसर को उजागर कर दिया है भले ही यह फूलन देवी के संदर्भ में न हो। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : सभापति जी, इन के मंतव्य को आप समझ सकते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन : इसी प्रकार जो अगली टिप्पणी है, मैं उस पर भी आदरणीय गृह मंत्री जी ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : मैं उन के वक्तव्य को देखूंगा और आपत्तिजनक होगा तो रिकॉर्ड से अलग कर दूंगा और आडवाणी जी ने उसे बिल्कुल साफ कर दिया है।

श्री नरेन्द्र मोहन : आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है, "मैं गंभीरता पूर्वक प्रत्येक राजनैतिक दल से अनुरोध करता हूं कि न तो आपराधिक तत्वों के साथ किसी प्रकार के संबंधों को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करें।" अब इस बारे में क्या भारत सरकार की कोई विशेष योजना है ? क्या गृह मंत्रालय ने इस बारे में राजनीतिक दलों से कोई बात की है? महोदय, राजनीति के अपराधीकरण की स्थिति दयनीय होती जा रही है। सर्वोच्च न्यायलय ने भी टिप्पणी की है, अब चुनाव आयोग की भी टिप्पणी है और अनेक हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी कह चुके हैं व वर्तमान राष्ट्रपति ने भी संकेत में इस बारे में चर्चा की है। इस संदर्भ में संसद और विधान सभा के चुनावों में अपराधी तत्व भाग न ले सकें, चुन कर न पहुंच सकें, इस के बारे में क्या कोई विशेष योजना या कानून में संशोधन करने की कोई योजना है? क्या भारत सरकार ने इस विषय पर गंभीर चिंतन किया है? आखिर आपराधिक तत्वों को प्रोत्साहन न देने की जो चर्चा इस वक्तव्य में आई है, उस पर किस प्रकार से नजर रखी जाती है? क्या केवल राजनीतिक दलों पर ही हम छोड़ देंगे। या इस बारे में हमारा प्रशासन या सरकार कुछ करेगी?

श्री सभापति: बस, हो गया।

श्री नरेन्द्र मोहनः एक आखिरी सवाल मैं यह करना चाहता हूं कि एक सामूहिक चिंता और सशक्त सर्वदलीय सम्मति की आवश्यकता दर्शाई गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सर्वदलीय सम्मति प्राप्त करने के बारे में भारत सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है, क्या इसके बारे में कोई गहन चिंतन हुआ है ? जहां तक मेरी जानकारी है जो समाचार पत्रों से मिली है वह यह है कि फूलन देवी का हत्या के पीछे सम्पत्ति का विवाद है और राजनीतिक महत्वकांक्षाओं की बात सामने आई है अब इस सम्पत्ति विवाद का कितना अंश है इस हत्या के पीछे ...

श्री सभापतिः देखिए, नरेन्द्र मोहन जी, जो सवाल आप कर रहे हैं, इन सवालों का जवाब आडवाणी जी नहीं दे सकते, न इनकों देना चाहिए ऐज़ ए मिनिस्टर, यह तो कोर्ट फैसला करेगी। आप इन बातों में क्यों पड़ रहे हैं? आप खुद भी ऐसी बातें कह रहे हैं और ऐसी बातों से पार्टी वालों को भी असमंजस में डाल रहे हैं । आप ऐसी बातें करके पार्टी वालों को असमंजस में डाल रहें हैं।

श्री नरेन्द्र मोहनः ठीक हैं, मैंने जो प्रश्न किया है,उस पर चर्चा हो और आदरणीय गृह मंत्री जी का स्पष्टीकरण भी आ जाए तो मुझे संतोष हो जाएगा।...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्रःपैसे लगाकर अखबार छापना और बात है सही बात कहना और बात है ।

श्री नरेन्द्र मोहनः मैंने सही बात कहीं कि जिस प्रकार से समाजवादी दल को ले रहा है अपने साथ, वह सही बात नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

*Expunged, as ordered by the Chair.

श्री जनेश्वर मिश्र: जिस प्रकार आप अखबार के ज़रिए अपना रोजगार चलाते हैं, वह भी मैं जानता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः श्रीमती एस.जी इन्दिरा। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहनः आप लोगों ने ...(**व्यवधान**)... के साथ अन्याय किया है, कुछ जानकारी है आपको ।...(**व्यवधान**)... मैं जानता हूं कि आप किस प्रकार से *कर रहे हैं, किस प्रकार से राजनीति का *आपने किया है, यह भी मैं जानता हूं।...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्रःसबसे बड़े *आप लोग हैं माननीय गृह मंत्री जी ने अपील की, अध्यक्ष जी ने अपील की, हया ही नहीं हैं, आप माफी नहीं मांग रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः श्रीमती एस.जी इन्दिरा। बस दो मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): I thank you, Mr. Chairman, Sir, for calling me.

I thank my Puratchi Thalaivi for giving me this opportunity to be a Member of the Rajya Sabha.

I want to seek certain clarifications on the statement made by the hon. Home Minister. Before that, I pay my heart-felt tribute and respect to the departed soul.

MR. CHAIRMAN: Please put questions.

SHRIMATI S.G. INDIRA: It is unfortunate that the hon. Minister, in his statement, chose to attribute that "Every criminal act has a target". We never expected a person of high stature like hon. Advaniji to malign the departed lady Member in this way. Mrs. Phoolan Devi is a symbol of the oppression that has been inflicted on the most backward classes.

The main question I want to raise is, was there a security lapse in the high security area like the Ashoka Road where the prestigious office of the Election Commission of India is located? Every time, we have been seeing reports that the surveillance is being stepped up in the Capital, especially in the VIP areas. If that is a fact, how did this incident occur?

Sir, I would like to draw the attention of the hon. Home Minister to the fact that the U.P. Chief Minister's residence is next to the place where Mrs. Phoolan Devi was waylaid and killed. What were the security men posted in the Chief Minister's house, very near the place of occurrence, doing? Were they silent spectators? Some light may be thrown on this aspect.

*Expunged, as ordered by the Chair,

MR. CHAIRMAN: Please put questions. No speech.

SHRIMATI S.G. INDIRA: I am just putting questions, Sir.

There are attempts to side-track the main issue of the killing of Mrs. Phoolan Devi by planting stories that the assailants were lodged in the Central Prison in Himachal Pradesh. Will the hon. Home Minister explain to the House as to what the real fact is?

Also, in his statement, he has not mentioned the motive for the incident. The security provided to VIPs needs a thorough revamp. The kind of security given to VIPs is terribly below the standard and it cannot withstand an assault with sophisticated arms possessed by terrorists. The security men are ill-equipped. They lack the requisite training to combat the present terrorism.

Therefore, I request the Home Ministry to wake up to the situation and see that such incidents do not recur hereafter.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Sir, I would like to seek certain clarifications. Paras 1 to 5 give a factual description of the murder of Smt. Phoolan Devi. Seeking clarifications on those paras is not proper since the investigation is going on. Paras 7, 8 and 9 of the statement made by the hon. Minister raise so many doubts in my mind. I want to know whether it will be clarified by the Home Minister or by somebody else-l do not know the technicality. The statement says in para 7: "Smt. Phoolan Devi's life, as the Honourable Speaker stated in his obituary in Lok Sabha on July 26--I would like to stress the next words-reflected the social realities of contemporary India." What does it mean? Was it because of the social realities that she had been murdered? Was she murdered because a backward class woman, a *da/it* woman, entered the political scenario and had become a Member of Parliament? This is part (a) of my question.

Part (b) is: Was it because she was having some criminal background? There is a proverb in Malyalam: "One who takes the sword ends with the sword." Was she murdered because she was having a criminal background? So many doubts arise in my mind because of the words "reflecting the social realities of contemporary India" used in the statement.

Part (c) is, in para 8, it is stated:

> "Hence, I earnestly plead to every political party neither to encourage, directly or indirectly, any kind of association with criminal elements, nor to succumb to the temptation of trying to derive political mileage when unfortunate incidents take place."

I would like to seek a clarification on this point; whether any political party in India is encouraging criminalisation. She was having a criminal background. Is it a fact that the Samajwadi Party had accommodated her because of that? She was given the ticket twice. She had won the Parliamentary seat twice. She became the leader of the Samajwadi Party. Was it because of that, that she had been murdered? That point should be clarified.

Sir, I am having an apprehension on the point of encouraging criminalisation of politics. What does it mean? And, also, in para 9 it is very specifically stated that, several times, the issue of criminalisation has been discussed in the House. If that be so, is there any plan to take effective steps for avoiding criminalisation of politics? Is the Government proposing to bring a legislation to check criminalisation of politics. With these words, I conclude.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Sir, two pistols had been recovered from the car shed of Phoolan Devi. My submission is that the Prime Minister visited the house of Phoolan Devi to pay homage to her on 26 July. The pistols were neither recovered nor found. Probably, there was a lot of interrogation going on. A police party was there. They were searching the whole house, including the car shed.

Smt. Sonia Gandhi also went there to pay homage to her. Even by that time, the pistols were not traced. The Intelligence people were searching every nook and corner of the house. Those pistols were not recovered earlier. I am having serious doubts regarding the pistols that were found in the car shed. It should be clarified as to why they were not recovered earlier.

The next point relates to the surrender of one person before the U.P. Court. Normally, if a person surrenders before a Court, the police arrests him and the identification marks are taken. Subsequently, when he appears before the Court, the Court takes the identification marks. When he goes to jail, the jail authorities do interrogation and take the identification marks. Do the identification marks of a person who neither surrenders before a Court nor put in jail, help in that case? They could have easily

identified whether the person who committed the murder of Phoolan Devi was really inside the jail or not?

In this case a doubt has been created whether the police were helping the murderer, or, the jail authorities were helping the murderer, or, somebody else was helping the murderer. These are the doubts agitating the minds of the people. These doubts may be clarified by the hon. Home Minister.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister.

SHRI BP. SINGHAL: Sir, my name is also there.

MR. CHAIRMAN: No.

प्रो. रामदेव भंडारी: आप तो दस बार बोल चुके हैं, आप क्या बोलेंगे।

श्री मूलचन्द मीणाः सर, केवल प्रश्न ही पुछंगा, कई प्रश्न ऐसे हैं जो आए ही नहीं हैं।

श्री सभापति : अब नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, मैं आभारी हूं...(**व्यवधान**)...

श्री मूलचन्द्र मीणाः एक प्रश्न ऐसा है...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : नहीं नहीं हमने हर पार्टी से एक हीं बुलाया है ।...(**व्यवधान**)... Nothing will go on record.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और वैसे जनेश्वर जी ने सही कहा कि इस घटना के बाद हम चर्चा कर रहे हैं तथा तुरन्त चर्चा होती और इसी प्रकार की चर्चा होती तो स्वाभाविक हैं कि हम फूलन देवी के व्यक्तिव के बारे में शायद अधिक बोलते । यह स्वाभाविक है। चूंकि मेरे एक साथी ने कोई बात कहीं इसलिए मुझे लगाता है कि हमको फूलन देवी जी के जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि उनको जिस रास्ते पर जाना पड़ा यह सामाजिक सत्य है । गांव में पैदा हुई पिछड़े समाज में पैदा हूई, दुनियां भर के अत्याचार बचपन से देखे, कई प्रकार के अत्याचार और उसमें सें ऐसा जीवन बना जिसके कारण उनके ऊपर बहुत अपराध बने, बहुत आरोप लगे, कारावास में 11 साल बिताए और उसके बाद जिन्होंने उनको लोक सभा में देखा है, कभी बात भी की है, की कभी चर्चा भी की है तो एक प्रमाणिक प्रयत्न जो व्यक्ति करता है अपने भूतकाल से ऊपर उठाने का वैसा उनमें पाएगां और फिर जो बात अनायास कही जाती है, वह नहीं कहेगा। इसीलिए मैने कहा कि शायद मेरे मित्र ने कभी उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की है । अगर की होती, चूंकि मैं संसद में रहा हूं और वहां पर दो बार जब भी रही तो मैंने देखा कि बहुत ही संतूलित ढ़ग से अपनी बात करने की कोशिश करती है और लगता था की एक प्रमाणिक प्रयत्न कर रही हैं जो उनका भूतकाल रहा है उस भूतकाल से ऊपर उठ सकें और इसी संदर्भ में मैंने इसी बात का जिक्र किया कि उनका जो जीवन था वह एक सामाजिक वास्ताविकता का प्रमाण था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जनता का विश्वास भी प्राप्त किया इसीलिए जब उनकी हत्या की सूचना मिली तो सभी को बहुत दुख हुआ,

बहुत वेदना हुई की यह कैसे हुआ, क्यों हुआ । किसी ने पूछा की सरकार को कब पता लगा। मैं उस समय भोजन के लिए घर गया हुआ था। तुरन्त पता लगा, तुरन्त मुझे आई.बी. ने सूचना दी, पुलिस कमिशनर ने सुचना दी। लेकिन जब मैंनें यहां पर फोन किया तो कहा कि यहा हाउस असेंबिल हुआ था और क्योंकि तब तक पूरी जानकारी नहीं थी तथा एक सदस्य ने जब खड़े होकर कहा कि टी.वी. पर यह सूचना आई है, तो स्पीकर ने तीन बजे तक के लिए हाऊस एडजोर्न किया और कहा कि पूरा पता लगाकर सरकार आए। लेकिन सूचना मिलने में देर नहीं लगी हां, यह सही है कि सूचना टेलीविजन वालों के मिली तो उन्होंने भी घोषणा कर दी और जब उन्होंने घोषणा की तो किसी एक सदस्य ने आ करके टेलिविजन का जिक्र करके यह जानकारी दी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हैं कि सरकार को जानकारी नहीं मिली। सरकार को जानकारी आई। सरकार को जानकारी मिली, लेकिन सरकार को मिलने के बाद चूंकि तीन बजे तक लोक सभा एडजर्न्ड हो चुकी थी यहां पर जैसे ही आपको पता लगा था तो हाउस एडजर्न्ड हो गया था वहां तो उन्होंने एडजर्न्ड पक्की सूचना सरकार दे इस दृष्टि से किया था । सभापति जी ने सही कहा इस समय पूरी छानबीन चल रही है और छानबीन के आधार पर केस बनेगा, चार्ज शीट होगी , कोर्ट में केस जायेगा, मेरे लिए उन सब बातों का जिक्र करना जो-जो पुलिस ने खोजबीन के दौरान में पायी हैं या जो उनका मत बना है किस-किस ने क्या कहा, किस-किस ने क्या बताया आप स्वाभाविक रूप से स्वीकार करेंगे कि यह न पुलिस के साथ न्याय होगा और न जिसके ऊपर अपराध लगाया जाता है उसके साथ न्याय होगा क्योंकि मैं कोई पत्र पत्रिका नहीं हूं कि जिस पत्र पत्रिका में कुछ भी लिख दिया जाय तो कहेंगे कि अखबार ने लिखा है, इसका क्या है । लेंकिन जब मैं कहूंगा तो वह एक प्रकार से सरकार कह रही है, यह होगा और इसलिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, ढ़ेर सारी चीजें हैं। मोटे तौर पर इतना सही हैं कि पुलिस ने जो-जो व्यक्ति इस अपराध मे सीधें तौर पर शामिल हो सकते हैं, उन सात-आठ लोगों को पकड़ा हैं, सबको गिरफ्तार किया हैं जिसका जिक्र मैंने अपने वक्तव्य में भी किया है। पहले दिन ही जिसको संदेह कि सुई कहते हैं उस शेर सिंह राणा की ओर गई, यह शेर सिंह राणा जो लगता है कि वह अपराधी है और इसीलिए इसको खोजा और उसकी खोजबीन रूड़की हरिद्वार और देहरादून में की गई। जो जो भी उसके रिश्तेदार थे, पहचान वाले थे, उन सब को इंटेरोगेट करना, उनकी घेराबंदी करना और इसीलिए इसको भी लगा कि मेरे पीछे कहीं न कहीं पुलिस पहुंच ही जाऐगी इसलिए उसने जाकर स्वयं ही देहरादून में एक प्रकार से सरेण्डर सा ही कर दिया। वैसे तो उसने प्रेस क्लब में जाकर घोषणा की। उसने पहली जो घोषणा की वह यह कि मैंने बहमई का बदला लिया है । यह पहला वक्तव्य था इसके बाद उसने यह वक्तव्य नहीं दिया हैं उसके जो मित्र हैं उन्होंने छानबीन के दौरान पुलिस को और सरकार को एविडेंस दी है उसमें उन्होंने कभी बहमई का जिक्र नहीं किया है हां, अलबत्ता इस बात का जरूर जिक्र किया है, वह कहता है कि मैं ऊंचा चढ़ना चाहता हूं राजनीति में बढ़ना चाहता हूं और ऐसा कुछ करके बनूंगा जिसके कारण मैं एम.पी.भी बन जाऊंगा, यह भी बन जाऊंगा वह भी बन जाऊंगा। मैंने जब इन पैराग्राफ्स में राजनितिके अपराधीकरण का जिक्र किया है तो मेरे मन में प्रमुख रूप से इनके ये वक्तव्य हैं, जो अधिकृत रूप से पुलिस को दिए हैं ।

मैं इसलिए कह रहा था कि आज किसी आपराधी को यह लगे कि मैं अपराध करूंगा तो राजनीति में ऊंचा उठ सकता हूं, जा सकता हूं। यह कैसी एक विकृत स्थिति पैदा हुई है और इस विकृत स्थिति को समाप्त करना है, इसे कानून नहीं कर सकेगा। किसी ने पूछा – सुरेश पचौरी जी न पूछा, नरेन्द्र मोहन जी ने कहा कि क्या सरकार कोई कानून बनाने के बारे में सोच

रही है? मैं नहीं समझता हूं कि यह कानून के द्वारा संभव है। बहुत सारे लोग हैं जो अपराधी बैक ग्राउंड के हैं, लेकिन कभी कोई उनका कनविक्शन नहीं हुआ। इस व्यक्ति का अपराधीकरण बैक ग्राउंड है जिसको पकड़ा गया है। मैं सब केसेज़ नहीं सुनाता हूं, मेरे पास ढेर सारे केसेज़ हैं, मेरे पास कमसे कम सात-आठ केसेज लिखे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं सुनाता हूं, आयेगा जब कोर्ट में आयेगा। मैंने वक्तव्य में ही कहा है कि अपराधीकरण जो राजनीति का है उसको अगर कोई रोक सकता है तो उसे सभी पार्टीज़ मिलकर रोक सकती है। अगर एक ऑल पार्टीज कंसेन्सस बनती है तो उससे ही यह रूक सकता हैं और वह कैसे रूक सकता है- हम संयम अपना सकते हैं क्या? आज मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि मेरी पार्टी ने हमेशा सयंम अपनाया हैं, नहीं। ऐसे केसेज हैं जिनको मैं डिफेंड नहीं कर सकता हूं इसलिए In a way, almost all of us, all the major parties, live in glass houses दूसरों पर पत्थर ने फैंके। दूसरों पर पत्थर न फैंके, कांच के मकान में बैठे हैं। लेकिन हां, हम धीरे धीरे करके इस पर इंस्स्टि करें कि ठीक है, यह जीत सकता है लेकिन अगर आपराधिक बैकग्राउंड है तो हम न करें। अगर यह अप्रोच होगी और मिलकर होगी तो उससे यह प्रभावी होगा, कानून से नहीं रुकेगा। आप कानून...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि यह जो अपराधी पकड़े गये, इनका राजनीति से क्या संबंध था? इनका प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई संबंध था, यह बताइए?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: समझ लीजिए, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। इतना मैं कह सकता हूं कि जितनी जानकारी मुझे इस इनवैस्टीगेशन में पुलिस के द्वारा मिली है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं है कि किसी पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी के आदमी को मारना चाहता हैं, इसके कारण यह नहीं हुआ हैं। हां इतनी राजनीति मुझे जरूर लगती है जैसा कि उसको लगता है कि इस ढंग से मैं और ऊपर उठ सकता हूं, अपराध करके मैं ऊपर उठ सकता हूं। अलबत्ता मैं एक बात और कहूंगा। जनेश्वर जी ने बड़े जोर से कहा कि जो सांसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, उस गृह मंत्री को क्यों रहना चाहिए? मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। सांसद की मैं रक्षा नहीं कर सकता, इसके कारण ऐसा नहीं लगता लेकिन इसी सदन में – मुझे याद है कि जब पिछले साल जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों की हत्या हुई थी तो यहीं पर बैठे बैठे मैंने एक पत्र अपने नेता को लिखा था। यहां उस समय जसवंत सिंह जी थे। मन में आता है लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि क्या हिन्दुस्तान जैसे देश में, जहां पर इस प्रकार के प्रसंग हर दिन आ सकते हैं, हर सरकार के सामने आ सकते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा विषय है जिसके आधार पर मिनिस्ट्रीयल अकाउंटेबिलिटी पर इंसिस्ट करना चाहिए? कोई है? हमें ध्यान है कि जिस समय श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी, कितना धक्का सबको पहुंचा था लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि इसके लिए किसी को त्यागपत्र देना चाहिए। आखिर तो यह सबके लिए चोट थी और वह भी घर के घर में ऐसा हुआ था। उस प्रसंग को मैं इसलिए स्मरण कर रहा हूं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति विश्वास प्राप्त कर लेता है – आखिर सुरक्षाकर्मी जो प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी के घर पर तैनात थे, अगर उन पर श्रीमती गांधी भरोसा नहीं करेंगी तो किस पर करेंगी? उन पर अगर उन्होंने भरोसा किया और उस भरोसे का फायदा उठाकर किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया तो यह सुरक्षा की कमी के कारण नहीं हुआ है, सुरक्षा के अभाव के कारण नहीं हुआ है। आज जिस व्यक्ति ने –अभी तक कम से कम जो इसमें प्रमुख ऐक्यूज्ड लगता है – जिस ढंग से फूलन देवी जी का विश्वास प्राप्त किया था, अगर वहां पर एक सुरक्षाकर्मी ने होकर दस सुरक्षाकर्मी भी होते तो भी यही प्रसंग होता, यही बात होती। जो एक

सुरक्षाकर्मी था, उस एक ने अपने प्राणों की भी बाजी एक प्रकार से लगा दी। यह ठीक है कि वह बच गया लेकिन वह भी मरने वाला था, वह भी मर जाता। इसीलिए सुरक्षा के अभाव के कारण फूलन देवी जी की हत्या हुई, यह मैं नहीं मानता। मेरे सामने तो ये बात पूरे समय में कभी भी नहीं आयी कि उनको सुरक्षा की कमी है। उनको 94 से लेकर जो सुरक्षा दी गयी थी, वह आखिर तक थी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हां, यह मैं जरूर कहता हूं कि आज जब मेरे अधिकारी – जो एक कमेटी या दो कमेटियां बनी हुई हैं, जो रिस्क परमसैप्शन के आधार पर वी.आई.पीज़ को सुरक्षा प्रोवाइड करती हैं – उनको मैंने यह भी कहा है किइस बात को भी ध्यान में रखिए कि कुल मिलाकर दिल्ली में तकरीबन 58800 पुलिसकर्मी हैं, इसमें से 10000 वी.आई.पी. सिक्योरिटी ड्यूटी पर हैं। मैं जिस दिन से आया हूं, तब से लेकर मैंने ये सवाल अपने मंत्रालय से पूछे थे और उन्होंने जब मुझे यह बताया तो मैंने कहा कि मैं एक प्रकार से दिल्ली के आम नागरिकों के प्रति अन्याय करता हूं। अगर इस व्यवस्था को ज्यों का त्यों रहने दूंगा तो दस हजार लोग वीवीआईपी सिक्योरिटी में लगे रहेंगे और बाकी 48 हजार लोग दिल्ली के एक करोड़ निवासियों के लिए लगे रहेंगे तो यह मैं नागरिकों के लिए न्याय नहीं कर रहा हूं। आप लोग इस बात की छान-बीन हमेशा करते रहेंगे, रिव्यु करते रहेंगे तो उसमें आपको यह लगेगा कि इसकी जरूरत नहीं है, एक समय था जरूरत थी। एक समय पंजाब में आतंकवाद बहुत तेज था इसलिए अमुक-अमुक को जरूरत थी, एक समय एक व्यक्ति इस पद पर था इसलिए जरूरत थी, आज अगर नहीं है तो आप इसको रिव्यु करते रहिए, मैं निर्णय नहीं करूंगा, आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसमें गलती होती है, मैं इन्कार नहीं करता हूं कि मैं जो निर्णय करता हूं सही होता है। लेकिन कुल मिलाकर जितनी हमारे पास फोर्स है, उसका सही डिप्लाइमेंट होना चाहिए, मेरा यह जरूर आदेश उनके लिए हैं। अगर वे सही डिप्लाइमेंट करते हुए कहीं कमी करते हैं, कहीं बढ़ाते हैं, इसमें हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं स्वीकार करता हूं कि गलती होगी लेकिन अगर आज जितने लोग कहें उतनी सिक्योरिटी दे दूं तो संभव नहीं होगा, व्यावहारिक नहीं होगा। अगर दे सकूं तो बहुत अच्छा है। खासकर इस केस में उन्होंने उमा कश्यप के माध्यम से जो चतुराई की है, यहां तक कि फूलन जी की डायरी में शेर सिंह राणा का नम्बर लिखा था ब्रेकिट में लिखा था जिसका अर्थ है, उमा कश्यप। उनकी पहचान हुई और विश्वास प्राप्त किया। उनसे यह भी पूछा गया कि यह तो अनायास ही हुआ कि वे एक एमपी के साथ आईं और बाहर उतर गईं। बाहर उतरने के बाद जैसे ही वे द्वार की ओर जा रही थीं, हमला करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया और वे मर गईं। लेकिन यदि वह एमपी उनको अंदर ले जाता तो क्या करते? उन्होंने कहा कि हम और इंतजार करते। उन्होंने काफी योजनाएं बनाईं थीं, लम्बी योजनाएं बनाईं थीं। बेल के बारे में पूछा तो बेल की योजना कोई अभी की योजना नहीं थी, काफी पहले से बनाई हुई योजना थी कि 25 तारीख को जिस दिन यह कुकर्म किया तो कागजों के हिसाब से मैं जेल में बैठा था। उनके ऊपर आरोप लगा था और उनके पिता जी ने उनकी बेल करवा दी थी और बाद में 23,24 तारीख को बेल वापस ले ली थी। पिता जी के बेल वापस ले लेने के बाद एक और व्यक्ति अंदर चला गया था और 26-27 तारीख को फिर से उनकी बेल देकर वापस निकलवा लिया गया। मैं तो पुलिस की तारीफ करूंगा कि उसने सारी चीजें प्राप्त कर लीं, फिंगर प्रिंट भी ले लिए, लेकिन आज उसका कोई फायदा नहीं है। मान लिया जाए, यह चीज हमारे सामने उस समय आती जब मुकदमा चला होता तब सब कुछ समाप्त हो जाता। इसीलिए सारी चीजें हुई हैं। अभी भी जांच चल रही है। इसमें प्रेसिक्यूशन के लिए पुलिस को पूरा अधिकार होगा। मैंने जो कुछ कहा है वह जांच के आधार पर ही कहा है और विस्तार से नहीं कहा है। कुल मिलाकर मैं

इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा का प्रबंध दिल्ली में ठीक प्रकार से हो, सिक्योरिटी जोन में अच्छी तरह से हो। यहां बम विस्फोट का भी जिक्र किया गया हैं। मुझे बहुत खुशी हैं कि पांच-छः दिन पहले बम विस्फोट के उत्तरदायी लोगों को पकड़ लिया गया है और वे लोग भी पकड़े गए हैं जिन्होंने नार्थ ब्लाक, साऊथ ब्लाक, पिछले साल सन् 2000 में 26 जनवरी के लिए राजनाथ पर बम विस्फोट किया था, वह सारे का सारा गिरोह बहुत बड़ा था। कश्मीर से लेकर दक्षिण हैदराबाद तक फैला हुआ था। एक आईएसआई का गिरोह था उसको भी पकड़ने में पुलिस को सफलता मिला है। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनमें यह बात तो जरूर मिलती है, ...। मैं इस बात से इंकार नहीं करूंगा कि जब किसी सांसद की हत्या नई दिल्ली में हो जाए तो उसके कारण एक असुरक्षा का भाव पैदा होता है। उस असुरक्षा के भाव से आम नागरिक भी सोचने लगता है कि देखो सांसद मारा गया, इतना बड़ा वी.आई.पी. मारा गया। वी.आई.पी. को सिक्योरिटी देना और उसकी व्यवस्था करना भी हमारा ही कर्तव्य है लेकिन यह कर्तव्य निभाते हुए भी कुल मिलाकर नागरिकों की सुरक्षा का भी सुयोग्य प्रबंध हो, यह अवेलेबल पर्सोनेल का ठीक डिप्लोएमेंट करके ही हो सकेगा। मैं अपने अभी तक के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि दिल्ली में जिन –जिन के जिम्मे यह रिस्क असेस्मेंट का काम दिया गया है साधारणतया वे ठीक तरह से काम करते हैं और उसके आधार पर मुझे जो सूचना देते हैं उसके आधार पर निर्णय होते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस सारे प्रसंग को सही रूप में लिया है। सरकार इसके आधार पर दिल्ली की सुरक्षा और देश भर की सुरक्षा में जितना दायित्व केंद्र का होगा उसको प्रमाणिकता से निभाएगी, मैं इतना ही आश्वासन देता हूं। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned till 11.00 a.m. on 8^{m} August, 2001.

The House then adjourned at thirty one minutes past six of the clock, till eleven of the clock on Wednesday, the 8th August, 2001.